राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1867/2024

फुली कुमारी

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये सचिव, गृह विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. सामान्य पुलिस निदेशक, पुलिस मुख्यालय, लालकोठी, जयपुर।
3. सामान्य पुलिस निरिक्षक, कोटा रेंज, कोटा।
4. पुलिस अधीक्षक, कोटा रेंज, कोटा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 27.05.2024
आदेश की दिनांक : 28.06.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वर्ष 1987 में हुई थी। अपीलार्थी द्वारा अपनी सेवाएं पूर्ण करने पर अपीलार्थी दिनांक 30.06.2021 (अनुलग्नक–1) को एलएचवी के पद से सेवानिवृत हो गये। अपीलार्थी की सेवानिवृति दिनांक 30.06.2021 को हुई थी, इसलिए प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पेंशन के संबंध में अपीलार्थी को विवरण भेज दिया गया था। अपीलार्थी की सेवा पुस्तिका के अनुसार उसे एक वेतन वृद्धि दी गई थी तथा प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को एक वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि न देकर भेदभाव किया है। यदि उसे एक वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि दी जाती तो उसका वेतन बढ़ जाता। अपीलार्थी ने अपनी एक वर्ष की सेवा पूरी कर ली थी तथा 30 जून 2021 को सेवानिवृत हो गया, इस प्रकार अपीलार्थी को एक वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि दी जानी चाहिए तथा यदि प्रत्यर्थी विभाग ने एक वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि दी है तो उसका वेतन बढ़ा दिया गया है। अपीलार्थी के सेवानिवृति लाभ जिसमें ग्रेच्युटी, पेंशन तथा अवकाश नकरदीकरण शामिल है, जारी कर दिए गए है, लेकिन अपीलार्थी को वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि नहीं दी गई है, जिसके कारण अपीलार्थी का वेतन कम हो गया है। अतिरिक्त सचिव, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग,

अध्यक्ष, डाक सेवा बोर्ड को दिनांक 25.09.2019 को एक पत्र भेजा है, जिसमें उन सरकारी सेवकों को एक काल्पनिक वेतन वृद्धि दिए जाने के संबंध में कहा गया है, जिन्होंने सेवानिवृति के दिन अर्थात 30 जून को एक वर्ष पूरा कर लिया है, जिसमें कहा गया है कि सीसीएस आरपी नियम, 2008 के नियम 10 के अनुसार वेतन वृद्धि की एक समान तिथी अर्थात प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को लागू की गई है। अपीलार्थी को अभी तक कोई देय लाभ नहीं दिया गया। प्रत्यर्थी विभाग की कार्यवाही अवैध और मनमानी है, क्योंकि अपीलार्थी के लंबी सेवा करने के पश्चात भी उन्होंने अपीलार्थी को सभी पुनःपरिक्षण लाभ नहीं दिए है और जो भी दिए गए हैं, वे नियत तिथी के पश्चात दिए गए है। प्रत्यर्थी विभाग ने उसे इस आधार पर काल्पनिक वेतन वृद्धि देय होने से एक दिन पहले सेवानिवृत हुआ था। अपीलार्थी ने प्रस्तुत किया कि उसने 1 जुलाई से 30 जून तक पूरे वर्ष काम किया है। अपीलार्थी वार्षिक वेतन वृद्धि पाने का हकदार है जो 1 जुलाई को देय थी, लेकिन उक्त वेतन वृद्धि का लाभ उन्हें नहीं दिया गया क्योंकि वे एक दिन पहले यानी 30 जून को सेवानिवृत हुए थे। अपीलार्थी ने अपनी सेवानिवृति से एक वर्ष पहले पूरा किया था, इसलिए वह काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ पाने का हकदार है जो 1 जुलाई को देय है। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा अर्जुन लाल जाट और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य के मामले में किया जा चुका है। एसबीसीडब्ल्यू पिटीशन संख्या 12198/2023 के मामले में दिनांक 23.08.2023 के आदेश के अनुसार एसबीसीडब्ल्यू संख्या 21/2020 के मामले में दिए गए निर्णय के आलोक में विजय सिंह बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य। दिनांक 21.07.2023 को मननीय उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच जयपुर और विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा पारित किया गया था, इसी तरह के विवाद का निर्णय कमल नयन एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य के मामले में पहले ही हो चुका है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावे कि अपीलार्थी को एक वेतन वृद्धि के साथ 18 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज सहित देय वेतन और भत्ते दिए जावे तथा अपीलार्थी की पेंशन को पुनः निर्धारित करने के पश्चात एक वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि और अन्य सेवानिवृति देय राशि प्रदान करायी जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना एवं बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन

का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहां यह स्पष्ट है कि

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य